WWW.APMA.IN

ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)
AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)
(Regd No. S/2999 of 1966-67)
10, APMA BHAWAN, IST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006
Phone : 23967505, 23948000,
E-mail : mailto:apma1965@yahoo.in Website : http://www.apma.in

| VISHNU BHARGAVA | VINAY NARANG | UMESH SETH |
|---|---|---|
| PRESIDENT | Hony. General Secretary | Hony. Treasurer |
| Mobile : 9811139614 | Mobile : 9810193816 | Mobile : 9999007000 |


सरकूलर नं अपमा/2018–2020/197 दिनांक : 12–6–2020

प्रिय व्यापारी भाईयो,

कोरोना वायरस से कहीं हम संक्रमित ना हो जाए, इससे बचाव हेतु आप सभी अपनी दुकान के कर्मचारियों, झल्लीवाले, ठेलेवाले, रिक्शेवाले, चायवाले जोकि आपके सम्पर्क में हो, उनको हमेशा मुँह में मॉस्क पहनकर रखने को कहें और थोड़े समय के बाद वो अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। इसके अलावा आप हर रोज थर्मामीटर से उनके शरीर का तापमान चैक भी करते रहें तथा अपनो दुकानों में स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें।

साथियों, कश्मीरी गेट में कुछ मार्किटों में गलियां बहुत छोटी हैं और उसके बावजूद भी कुछ व्यापारी भाई अपने कॉउन्टर व सामान को शटर के बाहर लगाते है जिससे मार्ग अवरूद्ध हो जाता है और गलियों में भीड़ लग जाती है, इससे सामाजिक दूरी खत्म हो जाती है और कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अतः जिन व्यापारी भाईयों ने अपने कॉउन्टर व सामान दुकान के बाहर लगा रखें है, उनसे निवेदन है कि वर्तमान स्थिति को समझते हुए अपने सामान को दुकान के अन्दर ही रखें और संभव हो तो कम से कम सामान मंगवाये और अपने गोदामों में ही रखें ताकि ग्राहकों/व्यक्तियों को आने–जाने में परेशानी ना हो और कम से कम 2 गज की दूरी भी बनी रहें, इसलिए आप सभी व्यापारी भाईयों से पुनः निवेदन है कि आप अपनी दुकान के काउॅन्टर को शटर से बाहर ना निकाले ना ही सामान को निकालकर दुकान के आगे रखें। Stand alone Building जिसमें केवल एक ही फर्म हो या गोदाम हो या ऑफिस हो, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता हो, उनको इनसे छूट है। लंच के समय आप किसो भी व्यक्ति/ग्राहक को अपनी दुकान के अन्दर ना आने दें और ना ही उस समय पैसे का लेन–देन करें, क्योंकि भोजन करते समय पैसे को छूने से भी कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु दुकान के बाहर एक रस्सी बांध ले और बाहर से ही ग्राहकों को सामान व पैसों का लेन–देन करें और अपने हाथों में दस्ताने अवश्य पहनें।

साथियों, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद भी कई व्यक्ति/दुकानदार/कर्मचारी/झल्लीवाले, ठेलेवाले वाले बाजारों में आ

कृ0प0उ0...............2

रहें है, जिससे कोरोना महामारी संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना हो गई है। इसलिए हमारा उन सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि आप कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव में है या सर्दी–जुकाम या बुखार आ रहा है तो आप स्वयं अपनी और अपने परिवार के सदस्यों के बचाव हेतु कृपया करके बाजार में बिल्कुल ना आऐ और अपने घर में स्वयं को होम क्वारंटाइन कर लें। ऐसे में अगर आप लापरवाही करेंगे तो इससे सैकड़ों लोग बीमार हो सकते है। जिन व्यापारी भाईयों की उम्र 65 वर्ष से ऊपर है, कृपया वह मार्किट में ना आए और जिनकी दुकान खोलने का नम्बर/वार भी हो और उनको यदि आवश्यक काम ना हो, तो कृपया दुकान पर ना आए।

दोस्तों, आपकी संस्था अपमा' द्वारा ऑड दिन के लिए हरा रंग और ईवन दिन के लिए पीला रगं को अंकित करने के लिए दुकानों के शटर पर इसको चिहिन्त किये जा रहें है। ताकि यह बिल्कुल स्पष्ट हो सकें कि किस दिन कौनसी दुकान खुलेगी और कौनसी बन्द रहेगी। ऑड–ईवन का सख्ती से पालन करते हुए आप अपनी दुकान के अंतिम नंबर और डेट के हिसाब से ही अपनी–अपनी दुकानें खोलें।

बन्धुओं, कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु आपकी संस्था ''अपमा'' की पूर्ण टीम प्रतिदिन मार्किट में सैनिटाईज का छिड़काव कर रही है और मार्किट में हर रोज थर्मामीटर से व्यक्तियों का शरीर का तापमान चैक किया जा रहा है और यदि किसी व्यक्ति में संदेह होता है तो उसको वापिस भेज रहें हैं।

---

( विनय नारंग )
महासचिव

Powered by: http:/webscо.xyz